न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 165/2017

वादी
1—हरीराम पुत्र नारायणराम जाति रेगर
निवासी मोरीयाना तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1—तहसीलदार रियांबड़ी
2—पटवारी हलका मोड़ीकलां तहसील रियांबड़ी

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :— 30.10.2017

वादी की ओर से निम्न वाद पेश करता है :—

1--यह है कि मौजा ग्राम मोरीयाना की सरहद में वादी की खातेदारी का काश्त व कब्जासुद खेत खसरा नंबर 391 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा बारानी 2 में सें 1/2 भाग में सें 1/2 भाग आया हुआ है। जिस पर वादी का काश्त कब्जा है।

2--यह है कि उक्त आराजी को यानि 6 बीघा 12 बिस्वा आराजी को में सें यानि वादी ने जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 5.7.1980 को मदनलाल पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी मोरीयाना से खरीद की है। तब से मेरा काश्त कब्जा चला आ रहा है। खरीद के बाद मेरे नाम नामान्तकरण दर्ज हुआ। उस वक्त हीराराम पुत्र नारायणराम दर्ज कर दिया जो गलत है। हरीराम की जगह हीराराम दर्ज हुआ जो महज भूल से हुआ है। जबकि वादी का वास्तविक नाम हरीराम पुत्र नारायणराम जाति रेगर निवासी मोरियाना है। इसलिए वादी रेकर्ड दुरूस्ती का यह वाद पेश कर रहा है।

3--यह है कि वादी की प्रार्थना है कि डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के जारी फरमावे कि वाके मोड़ीकलां की सरहद में खेत खसरा नंबर 391 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा में सें 1/2 हिस्सा में सें 1/2 हिस्सा भूमि में वादी का नाम हीराराम पुत्र नारायण के स्थान पर हरीराम पुत्र नारायणराम जाति रेगर निवासी मोरीयाना दर्ज करवाने का आदेष प्रतिवादीगण को दिया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 26.10.2017 को अपना जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में ग्राम मोरीयाना के खसरा नंबर 391 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा में वादी का नाम हीराराम की जगह हरीराम किया जाना उचित है। इस नाम का अन्य व्यक्ति ग्राम मोरीयाना में नहीं है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार वादी का वाद स्वीकार करना उचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जाता है कि :—

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

हरीराम बनाम तहसीलदार

" मौजा मोरियाना के खसरा नंबर 391 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा में हीराराम पुत्र नारायणराम जाति रेगर निवासी मोरीयाना के स्थान पर हरीराम पुत्र नारायणराम जाति रेगर निवासी मोरीयाना दर्ज किया जावें।" तहसीलदार रियांबड़ी राजस्व रेकर्ड में इसी आशय का अमल दरामद कर रेकर्ड को दुरूस्त किया जावें। तहरीर जारी हों।"

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

डिगरी बमूकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम रियाँबड़ी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर ए एस

वादी
1—हरीराम पुत्र नारायणराम जाति रेगर
निवासी मोरीयाना तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1—तहसीलदार रियांबड़ी
2—पटवारी हलका मोड़ीकलां तहसील रियांबड़ी

दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. मुकदमात राजस्व वाद संख्या:— 165/2017 यह मुकदमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

" मौजा मोरियाना के खसरा नंबर 391 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा में हीराराम पुत्र नारायणराम जाति रेगर निवासी मोरीयाना के स्थान पर हरीराम पुत्र नारायणराम जाति रेगर निवासी मोरीयाना दर्ज किया जावें।" तहसीलदार रियांबड़ी राजस्व रेकर्ड में इसी आशय का अमल दरामद कर रेकर्ड को दुरूस्त किया जावें। नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बेंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

..................लीज....................मुवलिक...............बाबात.............खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.................. फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक..............का अदा करें।

बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :—30.10.2017

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपय	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकेन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)